

प्रेषक

सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ०प्र०, इलाहाबाद।

पंजीकृत

सेवा में,

प्रबंधक/सचिव
कारगिल शहीद महाविद्यालय
जसवन्त नगर
एटा।

पत्रांक- शि०स०/बी०टी०सी०/अनु०- 150 / 2012-25 / 2012-13 दिनांक: 22-8-12
विषय:- निजी बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत स्व वित्तपोषित संकाय सदस्यों के चयन के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक रहित दिनांक 16.08.2012 के संदर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक बी०टी०सी०/अनु०-150/346-49/2012-13 दिनांक 19.05.2012 के अनुक्रम में निजी बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरणानुसार स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संकाय सदस्यों का अनुमोदन दो वर्ष के प्रोवेशन पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता निरस्त होने की दशा में योग्यता सम्बन्धी सत्यापन असत्य पाये जाने पर तथा अन्य किसी तथ्य का गोपन किया गया होगा तो अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. डा० ममता यादव | प्राचार्य/विभागाध्यक्ष |
| 2. सुश्री नीलू यादव (पिछड़ी जाति) | प्रवक्ता प्रविधि |

कृपया शेष रिक्त पद के प्रति एक अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण करते हुए नियमानुसार चयन की कार्यवाही करने का कष्ट करें जिससे अनुमोदन पर विचार किया जा सके।

भवदीय

22.8.12

(भावना शिक्षार्थी)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ०प्र०, इलाहाबाद

प०स० शि०स०/बी०टी०सी०/अनु०- 150 / / 2012-13 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, 20/198, कावेरी पथ मानसरोवर स्टेडियम के पास, मानसरोवर जयपुर।
3. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, इटावा।

(भावना शिक्षार्थी)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ०प्र०, इलाहाबाद।

पंजीकृत

प्रेषक,

राजिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ०प्र०, इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव
कारगिल शहीद महाविद्यालय
जसबन्तनगर,
इटावा (उ०प्र०)

पत्रांक— शि०स०/बी०टी०सी०/अनु०-150 /346-49/2012-13 दिनांक: 19 मई, 2012
विषय— निजी बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत स्व वित्तापोषित संकाय सदस्यों के चयन के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक एवं दिनांक शून्य के संदर्भ में निजी बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरणानुसार स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संकाय सदस्यों का अनुमोदन दो वर्ष के प्रोवेशन पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता निरस्त होने की दशा में योग्यता सम्बन्धी सत्यापन असत्य पाये जाने पर तथा अन्य किसी तथ्य का गोपन किया गया होगा तो अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. सुश्री प्रियतमा सिंह | प्रवक्ता अधारिक |
| 2. सुश्री आरती अवस्थी | प्रवक्ता प्रविधि |
| 3. सुश्री शिवानी यादव (पिछड़ी जाति) | प्रवक्ता कला |

एन०सी०टी०ई० नियमावली 2009 के अपेडिक्स II के अनुसार विभागाध्यक्ष के पद पर घयनित अभ्यर्थी का शिक्षण अनुभव मानकानुसार न होने, प्रवक्ता प्रविधि के पद पर घयनित अभ्यर्थिनी सुश्री नीलू यादव के जाति प्रमाण पत्र न होने व श्री गणेश कुमार सिंह मानकानुसार शैक्षिक योग्यता से अर्ह न होने तथा प्रवक्ता स्वास्थ्य शिक्षा के पद पर मात्र एक ही अभ्यर्थी के अर्ह होने के कारण अनुमोदन के सम्बन्ध में वैधानिक कठिनाई हो रही है।

भवदीय

19.5.12

(भावना शिक्षार्थी)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ०प्र०, इलाहाबाद

पृ०सं० शि०स०/बी०टी०सी०/अनु०-150 / /2012-13 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, 20/198, कावेरी पथ मानसरोवर स्टेडियम के पास, मानसरोवर जयपुर।
3. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, इटावा।

(भावना शिक्षार्थी)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ०प्र०, इलाहाबाद।